अधिसूचना

मुम्बई, 2 मार्च, 2015

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (दूसरा संशोधन) विनियमावली, 2015

सा.का.नि. 284(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (बी) एवं धारा-47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :-

ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध **(**भारत से बाहर के निवासी किसी जाति द्वारा परिशूति का संकार करना विर्वण) (दूसरा संशोधन) विनियमावली**,** 2015 कहलाएंगे ।

वे स<u>रकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे</u>

2. अनुसूची 5 में संशोधन.—विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2000 (03 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000-आरबी) में अनुसूची 5 में, पैराग्राफ 2 में, उप-पैरा (2) के बाद,—

"भारत से <mark>बाहर का निवासी किसी व्यक्ति"..... ये आरंश और "हस्यवस्याय पर" शब्दों से समाप्त सौजूद</mark> पैराग्राफ 2A को पैराग्राफ 2B के रूप में पुनर्क्रमांकित किया जाएगा ।

पैराग्राफ 2B के बाद निम्नलिखित नमा उप पैकाशाफ जोड़ा जाएगा, पर्का

"(2C) कोई अनिवासी भारतीय चिट फ़ंड के रजिस्ट्रार अथवा राज्य सरकार की ओर से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत चिट फ़ंड में बिना किसी सीमा के और अप्रत्यावर्तनीय आधार पर अभिधान कर सकता है, बशर्ते ऐसे अभिधान सामान्य बैंकिंग चैनल से किए जाएँ।"

[सं. फेमा./338/2015-आरबी]

वी. पी. कानूनगो, प्रधान मुख्य महाप्रबन्धक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली 8 मई, 2000 के सा.का.िन. सं. 406(अ) के जरिये सरकारी राजपत्र के भाग , खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी थी:—

सा.का.नि. सं. 158(अ) दिनांक 02.03.2001

सा.का.नि. सं. 4(अ) <mark>दिनांक 02.01.2002</mark>

सा.का.नि. सं. 175(अ) दिनांक 13.03.2001

सा.का.नि. सं. 574(अ) दिनांक 19.08.2002

सा.का.नि. सं. 182(अ) दिनांक 14.03.2001

सा.का.नि. सं. 223(अ) दिनांक 18.03.2003

सा.का.नि. सं. 225(अ) दिनांक 18.03.2003 सा.का.नि. सं. 558(अ) दिनांक 22.07.2003 सा.का.नि. सं. 835(अ) दिनांक 23.10.2003 सा.का.नि. सं. 899(अ) दिनांक 22.11.2003 सा.का.नि. सं. 12(अ) दिनांक 07.01.2004 सा.का.नि. सं. 278(अ) दिनांक 23.04.2004 सा.का.नि. सं. 454(अ) दिनांक 16.07.2004 सा.का.नि. सं. 625(अ) दिनांक 21.09.2004 सा.का.नि. सं. 799(अ) दिनांक 08.12.2004 सा.का.नि. सं. 201(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 202(अ) दिनांक 01.04.2005 सा.का.नि. सं. 504(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 505(अ) दिनांक 25.07.2005 सा.का.नि. सं. 513(अ) दिनांक 29.07.2005 सा.का.नि. सं. 738(अ) दिनांक 22.12.2005 सा.का.नि. सं. 29(अ) दिनांक 19.01.2006 सा.का.नि. सं. 413(अ) दिनांक 11.07.2006 सा.का.नि. सं. 712(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 713(अ) दिनांक 14.11.2007 सा.का.नि. सं. 737(अ) दिनांक 29.11.2007 सा.का.नि. सं. 575(अ) <mark>दिनांक 05.08.2008</mark> सा.का.नि. सं. 896(अ) दिनांक 30.12.2008 सा.का.नि. सं. 851(अ) दिनांक 01.12.2009 सा.का.नि. सं. 341 (अ) दिनांक 21.04.2010 सा.का.नि. सं. 821(अ) दिनांक 10.11.2012 सा.का.नि. सं. 606(अ) दिनांक 03.08.2012 सा.का.नि. सं. 795(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 796(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 797(अ) दिनांक 30.10.2012 सा.का.नि. सं. 945(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 946(अ) दिनांक 31.12.2012 सा.का.नि. सं. 38(अ) दिनांक 22.01.2013

सा.का.नि. सं. 515(अ) दिनांक 30.07.2013 सा.का.नि. सं. 532(अ) दिनांक 05.08.2013 सा.का.नि. सं. 341(अ) दिनांक 28.05.2013 सा.का.नि. सं. 344(अ) दिनांक 29.05.2013 सा.का.नि. सं. 195(अ) दिनांक 01.04.2013 सा.का.नि. सं. 393(अ) दिनांक 21.06.2013 सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 04.09.2013 सा.का.नि. सं. 596(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 597(अ) दिनांक 06.09.2013 सा.का.नि. सं. 681(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 682(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 818(अ) दिनांक 31.12.2013 सा.का.नि. सं. 805(अ) दिनांक 30.12.2013 सा.का.नि. सं. 683(अ) दिनांक 11.10.2013 सा.का.नि. सं. 189(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 190(अ) दिनांक 19.03.2014 सा.का.नि. सं. 270(अ) दिनांक 07.04.2014 सा.का.नि. सं. 361(अ) दिनांक 27.05.2014 सा.का.नि. सं. 370(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 371(अ) दिनांक 30.05.2014 सा.का.नि. सं. 435(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 400(अ) दिनांक 12.06.2014 सा.का.नि. सं. 436(अ) दिनांक 08.07.2014 सा.का.नि. सं. 487 (अ) दिनांक 11.07.2014 सा.का.नि. सं. 632 (अ) दिनांक 02.09.2014 सा.का.नि. सं. 798 (अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 799 (अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 800 (अ) दिनांक 13.11.2014 सा.का.नि. सं. 829 (अ) दिनांक 21.11.2014 सा.का.नि. सं. 906 (अ) दिनांक 22.12.2014 सा.का.नि. सं. 914 (अ) दिनांक 24.12.2014 सा.का.नि. सं. 30 (अ) दिनांक 14.01.2015

| _ | |
|----|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 1 | |
| rd | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

П

()]

| THE CAZETTE OF NIBLA ENTRACES | [PART II—SEC 3(1)] |
|-------------------------------|--------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |